

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्त

खेताराम रेबारी पुत्र श्री कान्हा जी रेबारी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स श्री खेतेश्वर स्वीट् भण्डार, हरजी चौराहा, जावाल, तहसील व जिला— सिरौही, स्थाई पता:— रेबारियों का वास, मण्डवाडा, तहसील व जिला— सिरौही

F.S.S. Act Case No. 82/2025

“अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा— 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006”

—: निर्णय :—

दिनांक 16 जनरवरी, 2026

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा दिनांक 05-8-2025 को मैसर्स श्री खेतेश्वर स्वीट् भण्डार, हरजी चौराहा, जावाल, तहसील व जिला— सिरौही में प्रतिवादी विक्रेता खेताराम रेबारी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) का नमूना संख्या S-2767, खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1270/Act/2025/1270 दिनांक 13-8-2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्त पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया, लेकिन प्रतिवादी खेताराम रेबारी को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण में प्रतिवादी खेताराम के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 16-01-2026 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही, दिनांक 05-8-2025 को समय 09-05 ए.एम. पर खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु मैसर्स श्री खेतेश्वर स्वीट् भण्डार, हरजी चौराहा, जावाल, तहसील व जिला— सिरौही पर गये, वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी खेताराम रेबारी उपस्थित मिले। श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स श्री खेतेश्वर स्वीट् भण्डार, हरजी चौराहा, जावाल, तहसील व जिला— सिरौही की दुकान के निरीक्षण के दौरान श्री खेतेश्वर स्वीट् भण्डार, हरजी चौराहा, जावाल, तहसील व जिला— सिरौही की दुकान के अन्दर गत्ते के कार्टन में लगभग 160 किलोग्राम खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) रखा हुआ पाया, जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए

.....पेज दो पर

डॉ. जिला मजिस्ट्रेट
सिरौही-307001.



इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में गवाह श्री हरिराम ज्याणी पुत्र दुरडाराम ज्याणी, ग्राम कतरीया सर, तहसील व जिला- बीकानेर व श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रतिवादी विक्रेता खेताराम रेबारी को भरकर दी एवं मैसर्स श्री खेतेश्वर स्वीट् भण्डार, हरजी चौराहा, जावाल, तहसील व जिला- सिरोही की दुकान के अन्दर गते के कार्टन में आमजन के बिक्री हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) लगभग 160 किलोग्राम में से 02 (दो) किलोग्राम खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) को प्रतिवादी विक्रेता खेताराम रेबारी से उक्त गवाहों के समक्ष एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में कीमतन क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 600/- (अक्षरे रुपये छः सौ मात्र) प्रतिवादी खेताराम रेबारी को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने खरीद शुदा मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) को हिलामिलाकर एकरूप करके, प्रतिवादी विक्रेता खेताराम रेबारी एवं उक्त गवाहों के समक्ष चार साफ, सूखी, खाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर बराबर मात्रा में डाला एवं चारों नमूना बोतलों में 40-40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर इन चारों नमूना बोतलों को अलग अलग ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने लेबल तैयार का लेबल पर नमूना लेने की दिनांक, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ का विवरण मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) एवं अभिहित अधिकारी के कोड एवं क्रमांक S-2767 आदि अंकित कर लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता खेताराम रेबारी व गवाहों के हस्ताक्षर करवाते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा खरीदशुदा मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) की उक्त चारों नमूना बोतलों पर एक-एक लेबल नियमानुसार गोंद से चिपकाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने चारों नमूना बोतलों को अलग अलग कागज में लपेट कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) की चारों नमूना बोतलों को विधिवत सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) की चारों नमूना बोतलों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता खेताराम रेबारी व गवाहों तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने कार्यालय में पहुँचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बन्द किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो-दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 06-08-2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा भावना, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 05-08-2025 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री खेतेश्वर स्वीट् भण्डार, हरजी चौराहा, जावाल, तहसील व जिला- सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता खेताराम रेबारी से खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) (नमूना संख्या S-2767) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में आवेदक

.....पेज तीन पर

पति. जिना बधिस्टे
सिरोही-307001.



खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) के नमूना संख्या S-2767 की खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1270/Act/2025/1270 दिनांक 13-08-2025 में खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी खेताराम रेबारी पुत्र श्री कान्हा जी रेबारी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स श्री खेतेश्वर स्वीट् भण्डार, हरजी चौराहा, जावाल, तहसील व जिला- सिरौही द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया बेस्ड स्वीट्स) (नमूना संख्या S-2767) के विक्रय हेतु प्रतिवादी खेताराम रेबारी पुत्र श्री कान्हा जी रेबारी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स श्री खेतेश्वर स्वीट् भण्डार, हरजी चौराहा, जावाल, तहसील व जिला- सिरौही, निवासी- रेबारियों का वास, मण्डवाडा, तहसील व जिला- सिरौही पर राशि रुपये 35,000/- (अक्षरे रुपये पैंतीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी खेताराम रेबारी पुत्र श्री कान्हा जी रेबारी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स श्री खेतेश्वर स्वीट् भण्डार, हरजी चौराहा, जावाल, तहसील व जिला- सिरौही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फ़ैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 16 जनवरी, 2026 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(Signature)
 (डॉ. राजेश गोयल)
 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
 सिरौही
 (न्याय निर्णयन अधिकारी)